भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1325

(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सतत विकास लक्ष्य

1325. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और आजीविका के अवसरों में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने के अतिरिक्त ग्रामीण जनता के आर्थिक कल्याण हेतु क्या रणनीति बनाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार बहुआयामी गरीबी को कम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है;

(ग) यदि हां , तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से निजात मिली?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) , ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने , ग्रामीण युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने , बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर मुख्य ध्यान देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बहु-आयामी कार्यनीतियां अपनाई हैं। इस संबंध में , सरकार कई लक्षित कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) , प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) , राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) को कार्यान्वित कर रही है।

(ख) से (ड.): 25 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प में 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) स्थापित किए गए। एसडीजी लक्ष्य 1.2 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक "राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार सभी आयामों में गरीबी में रहने वाले सभी आयु वर्ग के पुरुषों , महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा करना" है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बहुआयामी गरीबी का अनुमान लगाते हुए हाल ही में 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' नामक रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट दर्शाता है कि भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या का अनुपात 2015-16 के 24.85% से लगभग आधा होकर 2019-21 में 14.96% हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं। इससे पता चलता है कि भारत वर्ष 2030 से पहले ही एसडीजी लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग ने 2005-06 से 2022-23 तक बहुआयामी गरीबी के अनुमानों को शामिल करते हुए एक चर्चा पत्र 'भारत में 2005-06 से बहुआयामी गरीबी' भी जारी किया। चर्चा पत्र के अनुसार , भारत ने बहुआयामी गरीबी में 2013-14 के 29.17% से 2022-23 में 11.28% तक की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले नौ वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 2015-16 के 32.59% से घटकर 2019-21 में 19.28% और शहरी क्षेत्रों में 2015-16 के 8.65% से घटकर 2019-21 में 5.27% हो गई है। रिपोर्ट बहुआयामी गरीबी से बाहर आने वाले लोगों की संख्या का ग्रामीण-शहरी विभाजन प्रदान नहीं करती है। यह अनुमान दर्शातें हैं कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी में तेजी से कमी देखी गई। रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित वेबसाइट पर देखा जा सकता है:

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimentional-Poverty-Index-2023.pdf

इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित ग्रामीण विकास क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन किया गया था , जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया कि यह योजना भारत के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरुप है और एसडीजी 2 और 9 में योगदान करती है क्योंकि यह गरीबी , भूखमरी और अवसंरचना की समस्या को संबोधित करती है। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई का लक्ष्य विशेष रूप से वर्षा सिंचित खेती वाले क्षेत्रों और कृषि योग्य बंजर भूमि में उत्पादकता और आजीविका/आय क्षमता में सतत सुधार सुनिश्चित करना है।

*****